Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 106: Form and manner of appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling

- (1) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by an applicant on the common portal in **FORM GST ARA-02** and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees to be deposited in the manner specified in section 49.
- (2) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by the concerned officer or jurisdictional officer referred to in section 100 on the common portal in FORM GST ARA-03 and no fee shall be payable by the said officer for filing the appeal.
- (3) The appeal referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such appeal shall be signed,-
 - (a) in case of the concerned officer or jurisdictional officer, by an officer authorised in writing by such officer; and
 - (b) in the case of an applicant, in the manner specified in rule 26.

www.cggst.com

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 106 : अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति

- (1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरूद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एआरए—2 में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रूपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।
- (2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरूद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एआरए—3 में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारिता अधिकारी को की जाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी।
- (3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपील के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,—
 - (क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा; और
 - (ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से, हस्ताक्षरित होंगे।

www.cggst.com